

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- ०१ / यो०ब०-४९ / २०१५ (खण्ड-२)- ७०१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सरायकेला वन प्रमंडल,
सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/
जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/ गुमला वन प्रमंडल,
गुमला/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/ खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/राँची वन प्रमंडल,
राँची।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल,
गढ़वा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका/विश्व खाद्य कार्यक्रम
प्रमंडल, चाईबासा।

दिनांक :- १९.०५.२०१६

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)“
(जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण
कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल 284.933 लाख (दो करोड़ चोरासी लाख
तिरानबे हजार तीन सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०४ / यो०बजट-३४ / २००६-१२ / स्वी० व० प०
दिनांक-०१.०८.२०१४ एवं आ०आ०संख्या-०४ / यो०बजट-३४ / २०१५-१८ आ०व०प०
दिनांक-२३.०४.२०१६।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)“ (जनजातीय क्षेत्रीय
उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल
284.933 लाख (दो करोड़ चोरासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ) रुपये मात्र राशि का
ऑन-लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित
किया जाता है :-

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण	मजदूरी	19P240601796580103	247.754
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796580323	37.179
कुल आवंटित राशि				284.933

अर्थात् कुल 284.933 लाख (दो करोड़ चोरासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ) रुपय मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।


3. वर्तमान आवंटित कुल 284.933 लाख (दो करोड़ चोरासी लाख तिरानबे हजार तीन सौ) रुपय मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण” योजना (पुरानी—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना)“ (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट—1(क), (ख) एवं (ग) में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2016–17 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं



पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार



कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation संसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

16. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।

20. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

24. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

25. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।



181

26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के हैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु०-2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
Chanchal
19/12/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

- 180
26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु-2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१ / यो०ब०—४९ / २०१५ (खण्ड-२)- ७०१ ,राँची, दिनांक :—१९.०५.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ प्रादेशिक अंचल, दुमका / प्रादेशिक अंचल, देवघर/ प्रादेशिक अंचल, राँची/ प्रादेशिक अंचल, गुमला/ प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


१९.०५.२०१६

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत 174[—]
मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक
खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
अनुलग्न-1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु-2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन-लाईन
उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त /

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—४९/२०१५ (खण्ड-२)- ७०१ राँची, दिनांक :—१९.०५.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,
प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी,
उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग / मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य
कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक
अंचल, जमशेदपुर/ प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ प्रादेशिक अंचल, दुमका / प्रादेशिक अंचल,
देवघर/ प्रादेशिक अंचल, राँची/ प्रादेशिक अंचल, गुमला/ प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—४९/२०१५ (खण्ड-२)- ७०१ राँची, दिनांक :—१९.०५.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, सराकेला/
कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/
कोषागार पदाधिकारी, जामताडा/ कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/
कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, खूंटी/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/
कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत तसर पोषक वृक्षों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)



क्र. सं.	कार्यालय / प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर में)	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका (तसर)	100.00	11.081	2.150	13.231
2	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा (तसर)	100.00	11.081	2.150	13.231
3	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	50.00	5.540	1.075	6.615
4	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	50.00	5.540	1.075	6.615
5	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	25.00	2.770	0.537	3.307
योग :-		325.00	36.012	6.987	42.999

*Channan
19151786*
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Biju झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	100.00	8.643	1.430	10.073
2	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	100.00	8.643	1.430	10.073
3	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	50.00	4.321	0.715	5.036
4	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	50.00	4.321	0.715	5.036
6	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	50.00	4.321	0.715	5.036
7	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	108.90	9.412	1.557	10.969
8	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	100.00	8.643	1.430	10.073
9	राँची वन प्रमंडल, राँची	100.00	8.643	1.430	10.073
10	साठ वाठ प्रमंडल, लातेहार	100.00	8.643	1.430	10.073
11	साठ वाठ प्रमंडल, दुमका	100.00	8.643	1.430	10.073
12	साठ वाठ प्रमंडल, सिमडेगा	100.00	8.643	1.430	10.073
13	साठ वाठ प्रमंडल, राँची	100.00	8.643	1.430	10.073
योग :-		1058.90	91.519	15.142	106.661


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 बैराखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	200.00	13.739	1.720	15.459
2	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	100.00	6.870	0.860	7.730
3	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	100.00	6.870	0.860	7.730
4	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	100.00	6.870	0.860	7.730
6	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	75.00	5.152	0.645	5.797
8	जामताडा वन प्रमंडल, जामताडा	75.00	5.152	0.645	5.797
9	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	100.00	6.870	0.860	7.730
10	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	100.00	6.870	0.860	7.730
11	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	100.00	6.870	0.860	7.730
12	खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी	100.00	6.870	0.860	7.730
13	राँची वन प्रमंडल, राँची	100.00	6.870	0.860	7.730
14	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	100.00	6.870	0.860	7.730
15	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	50.00	3.435	0.430	3.865
16	साठ वाठ प्रमंडल, गढ़वा	50.00	3.435	0.430	3.865
17	साठ वाठ प्रमंडल, लातेहार	100.00	6.870	0.860	7.730
18	साठ वाठ प्रमंडल, दुमका	100.00	6.870	0.860	7.730
19	साठ वाठ प्रमंडल, सिमडेगा	100.00	6.870	0.860	7.730
20	साठ वाठ प्रमंडल, राँची	100.00	6.870	0.860	7.730
योग :-		1750.00	120.223	15.050	135.273

H.Nanikam
19/10/2016
अपर प्रधान मुख्य संस्थानी संरक्षक, विकास,
B.J.M. झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति हे0)

भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना अंतर्गत तसर पोषक वृक्षों का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 :	2500
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) :	221.61
पौधों की दूरी : (2 मी0 x 2 मी0)	

क्र0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रु0 में)	मजदूरी (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
क सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी-निकौनी	30.00	0.00	6648.30	6648.30
2	उर्वरक	0.00	1710.00	0.00	1710.00
3	पौधों की सुरक्षा	10.00	0.00	2216.10	2216.10
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	5.00	0.00	1108.05	1108.05
5	मृत पौधों का बदलाव	5.00	440.00	1108.05	1548.05
	योग :-	50.00	2150.00	11080.50	13230.50



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति हेठो)

योजना का नाम : 1666 पौधा का वनरोपण (गैर वनभूमि)

पौधों की संख्या प्रति हेठो

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :-

221.61

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

क्र०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	5	6
ग. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20.00	0.00	4432.20	4432.20
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.00	1140.00	0.00	1140.00
3	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	2216.10	2216.10
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	5.00	0.00	1108.05	1108.05
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	4.00	290.00	886.44	1176.44
योग :-		39.00	1430.00	8642.79	10072.79

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

दर तालिका (प्रति हेठो)

भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण
पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे
स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी.

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 221.61

क्रम	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रु0 में)	मजदूरी (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
ग	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	एक कोड़नी-निकौनी	14.00	0.00	3102.54	3102.54
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.00	684.00	0.00	684.00
3	पौधों की सुरक्षा	10.00	0.00	2216.10	2216.10
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	5.00	0.00	1108.05	1108.05
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2.00	176.00	443.22	619.22
6	इण्टरी प्वाइंट कार्य हटाया गया				
	योग :-	31.00	860.00	6869.91	7729.91

Chancham
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, रांची।



सारक्षण

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

-172-

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49/15-2/701

दिनांक -

19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26565	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	2,238,200.00 रुपये बाइस लाख अड़तीस हजार दो सौ
2	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26566	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,105,300.00 रुपये इक्कीस लाख पौँच हजार तीन सौ
3	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26567	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,119,100.00 रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार एक सौ

5,462,600.00

योग:

रुपये चौपन लाख बासठ हजार छ: सौ

क्रमिक योग:


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26569	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	1,119,100.00 रुपये ख्यारह लाख उन्नीस हजार एक सौ
5	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26570	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,501,300.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार तीन सौ
6	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26572	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	515,200.00 रुपये पाँच लाख पंद्रह हजार दो सौ
7	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26574	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	1,628,200.00 रुपये सोलह लाख अठाइस हजार दो सौ
योगः				4,763,800.00
क्रमिक योगः		रुपये एक करोड दो लाख छब्बीस हजार चार सौ		10,226,400.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26575	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	687,000.00 रुपये छ: लाख सित्यासी हजार
9	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26577	SDGFOR002 TAJIBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,551,300.00 रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ
10	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26578	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	687,000.00 रुपये छ: लाख सित्यासी हजार
11	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26580	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,551,300.00 रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ
योग:				4,476,600.00
क्रमिक योग:		रुपये एक करोड सैतालीस लाख तीन हजार		14,703,000.00
 (SHRI.Y.K.SINGH (KUNAN FS)) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND 				

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796580103	26581	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	687,000.00 रुपये छ: लाख सित्यासी हजार
13	P 19 240601796580103	26583	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG	277,000.00 रुपये दो लाख सित्योत्तर हजार
14	P 19 240601796580103	26586	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	343,500.00 रुपये तीन लाख तीरयातीस हजार पैसे से
15	P 19 240601796580103	26587	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	343,500.00 रुपये तीन लाख तीरयातीस हजार पैसे से
योग:				1,651,000.00
क्रमिक योग:				16,354,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26588	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ 1,551,300.00
17	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26589	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ 1,551,300.00
18	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26590	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ 1,551,300.00
19	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26591	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	रुपये पंद्रह लाख इकावन हजार तीन सौ 1,551,300.00
योग:				6,205,200.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख उनसठ हजार दो सौ			22,559,200.00
			 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)	
			ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND	
Page 5 of 11	172.16.20.1	RANCHI	Run Date: 19/5/2016	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26592	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	1,108,100.00
21	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26593	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	1,108,100.00
22	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26594	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	315,000.00
23	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26596	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	336,500.00

योगः

कृष्ण

रुपये दो करोड़ चौपन लाख छब्बीस हजार नौ सौ

2,867,700.00

25,426,900.00

ਸੀ ਸੌ Chauhan
(SHRIY K SINGH CHAUHAN) M/S

ADDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796580323	26597	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	157,500.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार पौंच सौ
25	P 19 240601796580323	26598	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	157,500.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार पौंच सौ
26	P 19 240601796580323	26599	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	243,500.00 रुपये दो लाख तीरयालीस हजार पौंच सौ
27	P 19 240601796580323	26601	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	64,500.00 रुपये चौसठ हजार पौंच सौ
योग:				623,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड साहाठ लाख उनचास हजार नौ सौ		 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)	26,049,900.00

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26602	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	241,700.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार सत्ते सौ
29	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26603	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	86,000.00 रुपये छियासी हजार
30	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26604	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	229,000.00 रुपये दो लाख उन्तीस हजार
31	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26606	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	86,000.00 रुपये छियासी हजार
योग:				642,700.00
क्रमिक योग:				26,692,600.00


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796580323	26608	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	229,000.00 रुपये दो लाख उन्नीस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
33	P 19 240601796580323	26609	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	86,000.00 रुपये छियासी हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
34	P 19 240601796580323	26610	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	53,700.00 रुपये तीरपन हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
35	P 19 240601796580323	26613	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	43,000.00 रुपये तीरयासीस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			

योगः

411,700.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड इकहत्तर लाख चार हजार तीन सौ

27,104,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (FST))

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

163

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796580323	26614	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	43,000.00
37	P 19 240601796580323	26616	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	229,000.00
38	P 19 240601796580323	26618	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	229,000.00
39	P 19 240601796580323	26619	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	229,000.00
योग:				730,000.00
क्रमिक योग:				27,834,300.00

रुपये दो करोड अठहत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ

रुपये दो करोड अठहत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	P 19 240601796580323	26621	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	229,000.00 रुपये दो लाख उन्तीस हजार
41	P 19 240601796580323	26624	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	215,000.00 रुपये दो लाख पंद्रह हजार
42	P 19 240601796580323	26627	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAVA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	215,000.00 रुपये दो लाख पंद्रह हजार

योगः

659,000.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड छौरासी लाख तिरनावे हजार तीन सौ

28,493,300.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND